The 809<sup>th</sup> meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 10<sup>th</sup> July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

- 1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
- 2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
- 3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
- 4. Dr. Sunita Singh, Member.
- 5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024, MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 wrt plantaion, comments of MPPCB and violation cases respectively.

After the above discussion the H'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to schedued agenda.

1. Case No P2/1508/2025 Shri Shekh Asgar, Individual, Makan No. 410, Ward No. 08, near NADI, Sleemnabad, Sleemnabad, Katni (M.P.). Prior Environment Clearance for Marble Mine in an area of 2.65 ha. (Proposed Production: ROM – 83000 cum/year or 2,24,100.0 TPA (Saleable Ore, Marble block – 24900 cum/yr and Marble Other purpose - 41500 cum/yr and Mineral Reject-16600 cum/annum, OB/waste – 6000 cum/annum) (Khasra No.148) Village- village- Chapra, Tehsil – Bahoriband, District – Katni (M.P.). [536699] (B2)

Earlier this case was discussed in SEAC meeting of 790<sup>th</sup> held on 7<sup>th</sup> May 2025, wherein following query was issued

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 08/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री शेख असगर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Sanjay Singh, M/s. P&M Solution, Noida, UP. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज				
परियोजना प्रस्तावक	श्री Shekh Asgar, Individual, Makan No. 410, Ward No.				
का नाम व पता	08, near NADI, Sleemnabad, Sleemnabad, Katni				
	(M.P.).				
खसरा नं./ क्षेत्रफल	148 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना 2.65 hectare.				
(सरकारी/निजी)	प्रस्तावक भू स्वामी स्वयं)				
स्थल	Village- village- Chapra, Tehsil – Bahoriband, District				
	– Katni (M.P.).				
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 23/12/03 से 22/12/2033 तक है ।				
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled blasting.				
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।				
लीज क्षेत्र में क्रेशर	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 21 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित				
की स्थिति	नहीं।				
बोर्ड द्वारा जारी	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के पत्र क्रमांक 3073 दिनांक				
सम्मति की स्थिति	17/09/13 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक				
	08/12/2013 तक थी। तत्पश्चवात खदान बंद रही है ।				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Proposed				
	Production: ROM - 83000 cum/year or 2,24,100.0				
	TPA (Saleable Ore, Marble block – 24900 cum/yr				
	and Marble Other purpose - 41500 cum/yr and				
	Mineral Reject-16600 cum/annum, OB/waste – 6000				
	cum/annum)) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्				
	योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Proposed Production				
	: ROM - 83000 cum/year or 2,24,100.0 TPA (Saleable				
	Ore, Marble block – 24900 cum/yr and Marble Other				
	purpose - 41500 cum/yr and Mineral Reject-16600				
	cum/annum, OB/waste – 6000 cum/annum)) है।				
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र				

809th MEETING

परिधि में अन्य	क्रमांक 1806 दिनांक 17/04/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक		
	3		
खदानें	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.71 हे. होता		
	है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		
अभ्यारण/ एसईजेड	क्रमांक 1806 दिनांक 17/04/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
से दूरी कोर/ जैव	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित		
विविधता बफर	नहीं है ।		
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		
250 मीटर की दूरी	क्रमांक 1806 दिनांक 17/04/25 अनुसार आयुक्त महोदय जबलपुर		
पर वन क्षेत्र की	संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 07/09/2013 अनुसार		
स्थिति	आवेदित क्षेत्र का यह भाग जो वन सीमा की ओर है में 7.5 मीटर		
	बैरियर बाउण्डरी पर चैनलिंग/फेनसिंग एवं सघन वृक्षारोपण करेगा। वन		
	एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं तकनीकी व्यवस्था		
	करेगा ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		
अनापति	क्रमांक 1806 दिनांक 17/04/25 अनुसार आवेदित खसरा से 500 मीटर		
	की दूरी पर ख.क्र. 208, 234 रकबा क्रमश: 1.69, 0.92 हे. मद नाला		
	मध्यप्रदेश शासन दर्ज है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत छपरा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक		
पंचायत की अनापति	24/24/01/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को		
	कोई आपति नहीं है ।		
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं24 के सरल क्रमांक-		
में स्थिति	72 पर दर्ज है ।		

During Presentation PP submitted that It is a fresh case for EC as previously no EC was required for Minor Mineral of area less than 5 ha. till the mine was operational under valid Q.L.

PP further submitted following information about the project:

• Chapra Marble Mine is located at Khasra No. – 148, at village: Chapra, Tehsil – Bahoriband, District – Katni, Madhya Pradesh over an area of 2.65 ha.

### STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 10<sup>th</sup> July , 2025 809<sup>th</sup>MEETING

- The quarry lease was granted to Sheikh Asgar by State Government on 23.12.2003 for 10 years period up to 22.12.2013.
- The mine was thereafter closed for want of renewal of Q.L.
- The mine worked till 20.05.2013 under valid Consent to Operate for Production Capacity of 5,000 cum per year.
- The Extension of lease period was done for further 20 years period up to 22.12.2033 vide lease deed execution on 26.10.2023.
- Mining plan has been approved on 05.08.2024 by Director, DGM, Madhya Pradesh.
- Forest Compartment no. 248 is adjoining Q.L area in North. NOC has been given by forest committee vide order dated 07.09.2013 subject to condition that the PP will do chain link fencing at 7.5m barrier boundary facing forest & doing dense plantation at its own cost.
- The proposed rate of production is: ROM 83000 cum/year or 224100.0 TPA (Saleable Ore, Marble block 24900 cum/yr and Marble Other purpose 41500 cum/yr and Mineral Reject-16600 cum/annum, OB/waste 6000 cum/annum).
- The project falls in Category B2 as per EIA notification, 2006 & its subsequent amendment thereof since there is only one other mine of area 2.06 ha. Thus the total cluster area is 4.71 ha.
- There is no habitation within 2km area.
- The proposed cost of the project is Rs. 100 lakhs
- 01Tree and Existing within lease area and no tree felling is proposed.
- In the North -East corner of the lease mine site office is situated.

After presentation the committee asked PP to upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the Parivesh Portal then after their case shall be further considered.

2. <u>Case No P2/1510/2025 NILANSHU NAYAK, Leessee, WARD NO. 13, NAYAKHERA, PRITHVIPUR, NIWARI (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 3.00 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 1025/2/1) Village – Jer, Tehsil –Prithvipur, District- Niwadi (M.P.) [536328] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 08/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Ms. Garima Shrivastava, M/s. ASERIES ENVIROTEK INDIA PRIVATE LIMITED उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण परियोजना प्रस्तावक क्षारा प्रस्तुत दस्तावेज श्री NILANSHU NAYAK, Leessee, WARD NO. 13, NAYAKHERA, का नाम व पता अर्था NILANSHU NAYAK, Leessee, WARD NO. 13, NAYAKHERA, का नाम व पता अर्था परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता अर्था NILANSHU NAYAK, Leessee, WARD NO. 13, NAYAKHERA, PRITHVIPUR, NIWARI (M.P.)  असरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)  Village – Jer, Tehsil – Prithvipur, District- Niwadi (M.P.) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर Not applicable as this is murum quarry.  प्रकरण की स्थिति लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।  मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ क्रमांवय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांवय कर्तांचर विवार शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांवय कर्तांचर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमेंचराण/ एसईजेड		2 )			
का नाम व पता खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) स्थल  Village – Jer, Tehsil – Prithvipur, District- Niwadi (M.P.) लीज स्वीकृति लीज स्वीकृति लीज स्वीकृति लासिटंग/रॉक ब्रेकर Not applicable as this is murum quarry. प्रकरण की स्थिति नहीं। लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति बोर्ड द्वारा जारी सध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के सम्मति की स्थिति वोर्ड द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है। उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हे।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र फर्मीय अध्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) स्थल Village – Jer, Tehsil – Prithvipur, District- Niwadi (M.P.) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर Not applicable as this is murum quarry. प्रकरण की स्थिति नियति नहीं। लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्ट-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उचान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	परियोजना प्रस्तावक	প্রী NILANSHU NAYAK, Leessee, WARD NO. 13, NAYAKHERA,			
स्थल  Village – Jer, Tehsil – Prithvipur, District- Niwadi (M.P.)  लीज स्वीकृति  कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर  Not applicable as this is murum quarry.  फ्रकरण की स्थिति  लीज क्षेत्र में क्रेशर  जार्म-1 के पार्ट-वी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित की स्थिति  बोर्ड द्वारा जारी  सम्मित की स्थिति  वारा जारी स्थापना सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023  तक है ।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000  घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना  अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र  परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाणा-पत्र	का नाम व पता	PRITHVIPUR, NIWARI (M.P.)			
पंशाबge — Jer, Tehsil — Prithvipur, District - Niwadi (M.P.) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर Not applicable as this is murum quarry.  प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट । लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र फ्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उयान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	खसरा नं./ क्षेत्रफल	1025/2/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.00 hectare.			
लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।  ल्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर Not applicable as this is murum quarry. प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट । लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्ट-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उयान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	(सरकारी/निजी)				
दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।  ल्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर Not applicable as this is murum quarry.  प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।  बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के सम्मति की स्थिति द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	स्थल	Village – Jer, Tehsil –Prithvipur, District- Niwadi (M.P.)			
प्रकरण की स्थित नया प्रोजेक्ट । लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्म-1 के पार्ट-वी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 860			
प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट । लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र		दिनांक 28/01225 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।			
लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्ट-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।  बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not applicable as this is murum quarry.			
की स्थिति नहीं।  बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के सम्मित की स्थित द्वारा जारी स्थापना सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	प्रकरण की स्थिति वया प्रोजेक्ट ।				
बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के सम्मित की स्थित द्वारा जारी स्थापना सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	लीज क्षेत्र में क्रेशर फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापि				
सम्मति की स्थित द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	की स्थिति	नहीं।			
तक है ।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	बोर्ड द्वारा जारी	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 08/05/25 के			
उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	सम्मति की स्थिति	द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 04/05/2023			
घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।  राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र		तक है ।			
अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000			
है।  500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र		घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना			
500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र		अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष			
परिधि में अन्य क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र					
खदानें अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र			
राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र	परिधि में अन्य	क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई			
^	खदानें	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।			
अभ्यारण/ एसईजेड क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र			
	अभ्यारण/ एसईजेड	क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में			

	<u> </u>
से दूरी कोर/ जैव	
विविधता बफर	नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र
250 मीटर की दूरी	क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र
पर वन क्षेत्र की	नहीं है ।
स्थिति	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 24 दिनांक 08/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व
	के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्षन, हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	नगर परिषद पृथवीपुर जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 1520 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	09/10/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से निकाय को कोई
	आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर	Tree Existing within lease area.
वृक्षों की वर्तमान	
स्थिति	
प्रस्तावि खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 55 दिनांक
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	06/05/25 अनुसार उक्त उत्खनितपटटा को नवीन डिस्ट्रिक रिपोर्ट में
में स्थिति	शामिल किया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति
	हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
L	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 20 पेड़ हैं जो जो नहीं काटे जायेंगें एवं इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र (0.59 हे.) के रूप में छोड़ा गया है। पर्यावरण सलाहकार ने यह भी बताया कि उत्तर पूर्व दिशा में कुछ कच्चे घर 46 मी. की दूरी पर इस संबंध में 54 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है, एवं पश्चिम दिशा में एक पोण्ड 110 मी. की दूरी पर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-10,000 घनमीटर/वर्ष 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.54 लाख एवं रिक्रिरेंग राशि रू. 2.98 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल नयाखेडा में 2 KW का सोलर प्लांट की स्थापना	60,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 14.85 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा । 3. Case No P2/1517/2025 Shri Mushtaq Malik, son of Shri Abdul Sattar Malik, resides at Vaishnav Colony, Sanawad, Tehsil Sanawad, District Khargone, in the state of Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Nandgaon Stone (Gitti & M sand) Quarry, Area – 1.79 ha,(Production - 4,000 m3/year) Khasra No.: - 54 (Govt. Land), 53, 7/3, 8/1(Pvt. Land) Village: - Nandgaon, Tehsil- Sanawad, and District: Khargone [536801] (B2)

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, in which today on 08/07/2025 the project proponent's Environmental Consultant Shri Shishupal Verma, FAE from M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent			
Name and address of the project proponent	Shri Mushtaq Malik S/O Shri Abdul Sattar Malik Owner, Nandgaon Stone (Gitti & M-sand) Quarry, R/o-Vaishnav Colony Sanawad, Tehsil-Sanawad, District-Khargone, (M.P) 451111.			
Khasra No. Area (Government/ Private)	khasra no- 54 (Govt. land) & 53, 7/3, 8/1 (Pvt Land)  Area. – 1.797 hectors			
Location	Vill Nandgaon, Tehsil- Sanawad District- Kharg	gone (M.P.)		
lease approval/ Letter of Intent (LOI)	Approved by letter No. 5036 Dated 17/01/2025 of the Office of Collector, District. Khargone (M.P.), Application for excavation lease of stone mineral for a period of 10 years has been made on 17/01/2025.			
Blasting/Rock Breaker	blasting is not proposed			
Production capacity	The project proponent has applied for maximum production capacity of ston 4,000 m3/year Gitti and 4,000 m3/year M-Sand as per the approved mining plan.			
Status of stone crusher in lease area	As per S No. 24 of Part B, at form 1, crusher is <b>non-operational</b>	s INSTALLED in the lease area.		
Status of MPPCB NOC/Consent	(CTE-Fresh)Consent Order Valid for Establish (PCB ID: 168805, Consent No: CTE-129817, Out	•		
Other mines within 500meter radius	According to the EKAL certificate number-5296 dated 18/02/2025 rated / approved within the radius of 500 meters; thus, the total area is. <b>1.797</b> . ha. It happens; hence the case is of B-2 Category.			
Distance from National Park/ Sanctuary/ SEZ to Core/Biodiversity Buffer	the Collector (Mineral Branch) District. Khargone, there is no National			
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	According to the EKAL certificate number-52 Collector (Mineral Branch) District Khargone, t radius of 250 meters			

#### STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 809th MEETING

Tehsildar's no objection	According to the EKAL certificate number-5296 dated 18/02/2025 of Office Collector (Mineral Branch) District Khargone, the site mentioned in the approved area is not situated within the radius of 500 meters. There is no human settlement, educational institution, hospital, archaeological heritage, monument of national importance, railway line / public building / cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: radio station, Doordarshan, airport, defense institute and aquatic body / river / pond / dam / stop dam / canal / rural unpaved / paved road / drain.  The lease for stone crusher has been approved for survey number 54 measuring 1.710 hectares. It is currently non-operational	
NOC from Gram	As per the Thehrao prastao proposal number 01 Dated 15/11/2024 of Vill.	
Sabha/Gram Panchayat	Nandgaon, Tehsil- Sanawad District- Khargone (M.P.) the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.	
Present status of trees at the proposed site	Env. Consl. submitted that 04 Tree existed within lease area out of which one tree shall be uprooted.	
Current status of the	उत्तर दिशा:	
proposed site as per Google Image	1) उत्खनिपट्टे क्षेत्र (भाग 1) जिसमे खनन कार्य रॉक ब्रेकर से प्रस्तावित है	
	उससे उत्तर दिशा में निकटतम 23 मीटर पर हाई टेंशन लाइन गुजर रही	
	है जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया कि हाई टेंशन लाइन से	
	30 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।	
	दक्षिण दिशा:	
	1) उत्खनिपट्टे क्षेत्र दक्षिण दिशा में 70 मीटर पर नहर गुजर रही है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार नहर से 100 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा।	
	पूर्व दिशा:	
	-उत्खिनिपट्टे क्षेत्र (भाग 2) से पक्का रोड पूर्व दिशा में 170 मीटर पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा।	
	-उत्खनिपट्टे क्षेत्र से 455 मीटर पर नहर स्थित है	
Status of the proposed mine in the district survey report	According to the letter certificate number-5294 dated 18/02/2025 of Office Collector (Mineral Branch) District <b>Khargone</b> , the said excavation lease will be included in the upcoming district survey report.	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया उत्खनिपट्टा 2 भाग में स्वीकृत है जिसमें से एक भाग में एम सैंड क्रेशर प्लांट प्रस्तावित है एवं दूसरे भाग में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से प्रस्तावित है। अनुमोदित खनन खनन योजना अनुसार माइन लाइफ 7 साल है अतःसमिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि प्रस्तावक द्वारा एम सैंड क्रेशर प्लांट दूसरे भाग में शिफ्ट किया जाता है तो प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति संसोधित करवाना होगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता <u>Stone (Gitti)</u> <u>4000 Cu.mt/year</u> & M-sand 4000 Cu.mt/year
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.79 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.78 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
Solar Panel of 2.0 Kw will be installed at the village government primary school Delwada.	90,000/-
• Educational painting on the walls & will provide 1 table & two chairs at the school.	10,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2170 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा । 4. Case No P2/1518/2025 SHRI MADHUSUDAN S/O SHRI SURESH YADAV R/O: VILLAGE KARHI, TEHSIL MAHESHWAR DISTRICT KHARGONE, MADHYA PRADESH Prior Environment Clearance for Murrum Quarry with a production capacity of 5,000 m3/year murrum having a lease area of 1.00 hectare, at Khasra No. 97/1 (Pvt. land) Village - Jamnaya, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (M.P.) [537039] (B2).

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, in which today on 08/07/2025 the project proponent's Environmental Consultant Shri Shishupal Verma, FAE from M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent		
Name and address of the project proponent	Shri Madhusudan Yadav S/o Shri Suresh Yadav Owner, Jamnaya Murram Quarry, R/o- Village-Karhi, Tehsil- Maheshwar, District- Khargone, (M.P).		
Khasra No. Area (Government/ Private)	Khasra No.– 97/1(Pvt. Land)	Area. – 1.00 hectors	
Location	VillJamnaya, Tehsil- Maheshwar, District- Kharg	one (M.P.)	
lease approval/ Letter of Intent (LOI)	Approved by letter No. 1372 dated 06/09/2024 of the Office of Collector, District. Khargone (M.P.), Application for excavation lease of stone mineral for a period of 10 years has been made on 06/09/2024.		
Blasting/Rock Breaker	No blasting		
Production capacity	The project proponent has applied for maximum production capacity of 5,000Cu.mt/year Murram as per the approved mining plan.		
Status of stone crusher in lease area	As per S No. 24 of Part B, at form 1, crusher is <b>no</b> installed in the lease area		
Status of MPPCB NOC/Consent	(CTE-Fresh)Consent Order Valid for Establish of PCB ID: 169040, Consent No: CTE-129820, Out		
Other mines within 500meter radius	According to the EKAL certificate number-1372 dated 19/09/2024 rated / approved within the radius of 500 meters; thus, the total area is. <b>1.00</b> . Ha. It happens; hence the case is of B-2 Category.		
Distance from National Park/ Sanctuary/ SEZ to Core/Biodiversity Buffer	k/ the Collector (Mineral Branch) District. Khargone, there is no National		
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	crea at a distance of Collector (Mineral Branch) District Khargone, there is <b>No</b> forest area within radius of 250 meters		

# STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 10<sup>th</sup> July , 2025 809<sup>th</sup>MEETING

Tehsildar's no	According to the EKAL certificate number-1372 dated 19/09/2024 of Office			
objection	Collector (Mineral Branch) District Khargone, the site mentioned in the approve			
	area is not situated within the radius of 500 meters. There is no human			
	<b>settlement</b> , educational institution, hospital, archaeological heritage, monument of			
	national importance, railway line / public building / cremation ground. National			
	Highway / sensitive areas such as: radio station, Doordarshan, airport, defense			
	institute and aquatic body / river / pond / dam / stop dam / canal / rural unpaved /			
	paved road / drain.			
NOC from Gram	As per the Thehrao prastao proposal number 01 Dated 15/11/2024 of Vill			
Sabha/Gram	Jamnaya, Tehsil- Maheshwar, District- Khargone (M.P.) the Panchayat has no			
Panchayat	objection to the mining work at the proposed site.			
Present status of	Env. Consl. submitted that 05 Tree existed within lease area no tree shall be uprooted.			
trees at the proposed				
site				
Status of the	According to the letter certificate number-1709 dated 22/10/2024 of Office			
proposed mine in the	Collector (Mineral Branch) District <b>Khargone</b> , the said excavation lease will be			
district survey report	included in the upcoming district survey report.			

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति/अभिमत प्राप्त की जावे तत्पश्चात् प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा। 5. Case No P2/1519/2025 SHRI VISHAL SHIVHARE S/O. SHRI MOHAN SHIVHARE ADDRESS—NARSINGHGARH, DISTRICT—RAJGARH, (M.P.) Prior Environment Clearance for Lakhanwas Stone mine for making Gitti & M-sand of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 904/1/1, in Village—Lakhanwas, Tehsil—Suthaliya, District—Rajgarh (M.P.) (Maximum Production—16,000 Cubic Meter) (Gitti—8,000 m3 & M-Sand—8,000 m3) [537146] (B2)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 10/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती मीना चौरसिया FAE, M/s Asries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

#### परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Vishal Shivhare, Ward 11, Shubhash Chauk, Narsinghgarh,		
परियोजना / कम्पनी	Rajgarh, (M.P.) - 465669. Prior Environment Clearance for Lakhanwas		
/ संस्थान का नाम व	Stone mine for making Gitti & M-sand of 2.00 Hectare Area,		
पता	Khasra No 904/1/1, in Village - Lakhanwas, Tehsil -		
	Suthaliya, District- Rajgarh (M.P.) Stone mine for making Gitti & M-sand Maximum Production – 16,000 Cubic Meter /year (Gitti- 8,000 m3 /year & M-Sand -8,000 m3/year). SIA/MP/MIN/537146/2025.		
परियोजना का खसरा	खसरा नं.— 904/1/1, एरिया — 2.00 ha., शासकीय भूमि,		
नं. / लीज क्षेत्रफल			
परियोजना स्थल	Village – Lakhanwas, Tehsil – Suthaliya, District- Rajgarh		
	(M.P.).		
Description of Project	Lakhanwas Stone mine for making Gitti & M-sand of 2.00		
	Hectare Area, Khasra No. 904/1/1, in Village – Lakhanwas,		
	Tehsil – Suthaliya, District- Rajgarh (M.P.) Maximum		
	Production – 16,000 Cubic Meter /year (Gitti- 8,000 m³ /year &		
	M-Sand -8,000 m³/year).		
सैंधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला <b>राजगढ़</b> के पत्र क0. 1287 दि0.		
	26 / 11 / 2024.		
परियोजना की श्रेणी	बी—2.		
खनन् कार्य	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting,		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर			
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	NA.		
विवरण (यदि लागू हो)			
उत्पादन क्षमता	Stone mine for making Gitti & M-sand Maximum Production — 16,000 Cubic Meter/year (Gitti-8,000 m3/year & M-Sand -8,000 m3/year).		
	Metet / yeur (Ottu- 0,000 m5 / yeur & M-Sana -0,000 m5/ yeur).		

# STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 10<sup>th</sup> July, 2025 809<sup>th</sup>MEETING

ग्राम	सभा /	ग्राम	ग्राम	पंचायत – लखनवास, जिला – <b>राजगढ़</b> का ठहराव प्रस्ताव
पंचायत	/ नगर	परिषद्	क0.	18 दिनांक 16/08/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गय
			है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि उनके द्वारा बोर्ड से सीटीई / एसपीसीबी कमेन्ट्स अप्राप्त है अतः समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित जानकारी / दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

- 1. The PP shall upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the Parivesh portal.
- 2. Please upload Certificate of accredited consultancy firm issued by NABET-QCI with their validity.
- 3. Please submit Ekal certificate and document regarding incorporating lease details in the DSR.

6. Case No P2/1504/2025 Shri Atul Kumar S/O Shri Purshottam Das Ajmera R/O: Jain Colony 103, Sanawad District Khargone, Madhya Pradesh Prior Environment Clearance of Inpun Stone (Gitti & M Sand) Quarry, Area: 1.850 Hectare,(Production -15,000 m³/year (Stone-6,000 cum/year, M-sand-9,000 cum/year)), Khasra: 323 & 325 Village: Inpun Tehsil: Punasa District: Khandwa State: Madhya Pradesh [529889] (B2)

The proposed mine is of prior environmental clearance under category **B-2**, in which today on **08/07/2025** the project proponent's Environmental Consultant Shri Varun Bhardwaj M/s. Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent			
Name and address of the project proponent	/ I			
Khasra No. Area (Government/ Private)	Khasra No.– 323 & 325 (Pvt. Land) Area. – 1.850 hectors			
Location	Village: Inpun, Tehsil: Punasa, District: Khandw	a, and State (M.P.)		
lease approval/ Letter of Intent (LOI)				
lease validity	14.02.2025 to 13.02.2035 (10 years)			
Blasting/Rock Breaker	Blasting proposed			
Production capacity	The project proponent has applied for maximum production capacity of 15,000 m³/year (Stone-6,000 cum/year, M-sand-9,000 cum/year) as per the approved mining plan.			
Status of stone crusher in lease area	As per S No. 24 of Part B, at form 1, crusher is <b>yes</b> installed in the lease area			
Status of MPPCB NOC/Consent	CTE- 129891 dated 07/05/2025			
Other mines within 500meter radius	According to the EKAL certificate number-1543 dated 19/02/2025 rated / approved within the radius of 500 meters; there is no other mine thus, the total area is. <b>1.850</b> . Ha. It happens; hence the case is of B-2 Category.			
Distance from National Park/ Sanctuary/ SEZ to Core/Biodiversity Buffer  According to the EKAL certificate number-1543 dated 19/02/2025 of the Control of the Collector (Mineral Branch) District. Khandwa, there is no Mark Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the result of the Collector (Mineral Branch) District. Khandwa, there is no Mark Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the result of the EKAL certificate number-1543 dated 19/02/2025 of the Control of the Collector (Mineral Branch) District. Khandwa, there is no Mark Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the result of the Collector (Mineral Branch) District.		nandwa, there is no National		
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the According to the EKAL certificate number-1543 dated 19/02/2025 of Collector (Mineral Branch) District Khandwa, there is <b>No</b> forest area we radius of 250 meters				

#### STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 10<sup>th</sup> July, 2025 809<sup>th</sup>MEETING

proposed site	
Tehsildar's no objection	According to the EKAL certificate number-1543 dated 19/02/2025 of Office Collector (Mineral Branch) District Khandwa, the site mentioned in the approved area is not situated within the radius of 500 meters. <b>There is no human settlement</b> , educational institution, hospital, archaeological heritage, monument of national importance, railway line / public building / cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: radio station, Doordarshan, airport, defense institute and aquatic body / river / pond / dam / stop dam / canal / rural unpaved / paved road / drain.  The period of 10 years from 28-07-2014 to 27-07-2024 for mineral stone/gravel (stone crusher) excavation lease period in the area has expired. At present the said warehouse is <b>closed and not</b> operational.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat	As per the Thehrao prastao proposal number 10 Dated 24/01/2024 of Vill-bhogava, Tehsil- punasa, District- Khandwa (M.P.) the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Current status of the proposed site as per Google Image	North West - Pucca Road-623 m and shed at 392 m in the North-west direction.
Status of the proposed mine in the district survey report	According to the letter certificate number-2112 dated 25/11/2022 of Office Collector (Mineral Branch) District <b>khandwa</b> , <b>Decision approved in 758th meeting dated 17.11.2022</b> .  The project proponent informed that the details of the mine were given on page no. of the approved new district survey report of the district. The simple number of 31 year 2022-2023 It is recorded on.

#### PP submitted following information about the lease area:

- The lease over an area of 1.85 ha is granted to Shri Atul Kumar for Inpun Stone (Gitti & M-Sand) Quarry Project at Khasra No. 323 & 325, Village: Inpun, Tehsil: Punasa, District: Khandwa & State: Madhya Pradesh.
- Earlier EC was issued another lease area which is located in the Khasra no. 325, details are as Case no. 1744, issued vide no. 1744 dated 27.04.2015.
- Quarry Lease Sanctioned to Shri Atul Kumar by Collectorate Office (Khanij Shakha) Khandwa (M.P), A Vide Order No. 1523/Khanij/2025, Vidisha dated 14.02.2025.
   Maximum total production capacity is 15,000 m³/year (Stone 6,000 cum/year, M sand 9,000 cum/year). The expected life of mine is 10 years.
- Production Capacity: 15,000 m³/year (Stone 6,000 cum/year, M-sand 9,000 cum/year).
- The land status is Private Land.
- There is no forest land within the area.
- There is no legal case against the project and project proponent.
- The project falls under Category "B2" Project or activity 1(a) as per EIA Notifications 15th Jan, 2016 and it is subsequent amendment and thereof.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता <u>Production -15,000 m³/year</u> (Stone-6,000 cum/year, M-sand-9,000 cum/year),
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.16 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.55 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

S.No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1	Regarding installation of 01 Kw Solar Panel in Govt. primary School village – Bhogawa, Inpun	70,000
2	Regarding installation of 01 water cooler in Govt. Primary school, village Bhogawa, Inpun	10,000
3	The project proponent will arrange for nature-themed paintings to be created at the Govt. Primary school, in village Bhogawa, Inpun	20,000
Total		1,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1850 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा । 7. Case No P2/1520/2025 RAJENDRA KUMAWAT, Lessee, S/o Mangilal Kumawat, Makan no. 44/2, ward no. 14, Rajendra Prasad ward Badawada, Tehsil- Jaora, Ratlam, MP 457226. Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 3.0 ha. (Murrum – 25,000 cum per year (Khasra No. 19 Govt.), Village- Thikariya, Tehsil – Jaora, District-Ratlam (MP) [537226] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतगर्त जिसमें आज दिनांक 10/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष्य प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम	श्री राजेन्द्र कुमावत, मकान नंबर 44/2, वार्ड नंबर 14, राजेन्द्र			
व पता	प्रसाद वार्ड वडवदा, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मप्र			
खसरा नंबर/क्षेत्रफल	खसरा नं. 19 (सरकारी भूमि)	3.0 훉.		
सरकारी/निजी				
स्थल	ग्राम — ठिकरिया, तहसील — जावरा, जिला रतलाम			
लीज स्वीक्रति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतला	म के सैधांतिक		
	पत्र क्रमांक 1750 दिनांक 04/12/2024 के द्वारा	स्वीक्रत ।		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार ली	ज क्षेत्र में क्रशर		
स्थिति	प्रस्तावित नहीं।			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजक्ट			
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	उज्जैन के पत्र		
स्थिति	Outward No:21924, दिनांक 09/05/2025 द्वारा	जारी स्थापना		
	सम्मति (सीटीई) प्राप्त है ।			
प्रस्तावित स्थल की गूगल	पूर्व दिशा:			
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	-उत्खिनिपट्टे से पूर्व दिशा में लगभग 110 मीटर स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया की उत्र खिनज का होने के कारण अनुमोदित खनन योज खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के किया जावेगा। - उत्खिनिपट्टे से पूर्व दिशा में 400 मीटर की	ब्रनिपट्टा मुर्रुम नना अनुसार		
	कच्ची सड़क गुजर रही है।			
	दक्षिण दिशाः			
	1) उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 52	मीटर पर एक		
	नाला गुजर रहा है।			

	2-10
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम – 25000 प्रति/वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरूम –
	25000 प्रति/वर्ष
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
खदानें	क्रमांक २०१० दिनांक १४/१/२०२५ अनुसार ५०० मीटर की परिधि ०१
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, उक्त क्षेत्र पर एक पत्थर
	उत्खिनिपटटा स्वीक्रत है जो कि गैर सद्रश (Non Homogenous)
	खिनज है जिसका रकबा 2.0 इस प्रकार कुल रकबा 5.0 हे. होता है,
	अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
एसईजेसे दूरी कोर/ जैव	क्रमांक २०१० दिनांक १४/१/२०२५ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि
विविधता बफर	में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र
	स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	क्रमांक 2010 दिनांक 14/1/2025 अनुसार 250 मीटर की परिधि में
	वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
	क्रमांक 2010 दिनांक 14/1/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट /
	राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई
	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध
	/ स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं
	₹ I
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की	नगर परिषद बडावद जिला रतलाम अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक-72
अनापति	दिनांक २९/७/२०२४ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु
	कोई आपित नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	क्रमांक २०१० दिनांक १४/१/२०२५ के अनुसार उक्त उत्खनिपटटा
	को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिति कर
	लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 06 पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगें

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 25000 प्रति/वर्ष
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.11 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.66 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
1.Repairing and Painting of Thikariya village Anganwadi walls with colorful educational themes such as alphabets, numbers, animals etc. 2.Furniture such as 4 tables & 4 chairs will be provided at the same aaganwadi	40,000/-
kendra.	20,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा । 8. Case No 11207/2023 Smt. Rekha Shukla, Owner, R/o Sai Sankalp Apartment, Flat No. 401, Kilkari Hospital ke Pass, Lashkar, District Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Biloua Stone Quarry in an area of 3.576 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 2653, 2637 min-2, 2639 min-3, 2637 min-4, 2637 min-5, 2636, 2635/1), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [536904] [DEIAA] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 10 / 07 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	रेखा शुक्ल निवासी साई संकल्प अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर.401, किलकारी हॉस्पीटल के पास लस्कर,	
नाम व पता	डिस्ट्रिक्ट- ग्वालियर मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरानं. 3921 (शासकीय क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर	
(सरकारी / निजी)	–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	
स्थल	ग्राम—बिलौआ तहसील—डबरा जिला—ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक खनिज/उ। प./न्।	
	क्र.08/2016 ग्वालियर दिनांक 22.02.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक / 127/डीया/न. क्र1/2016 ग्वालियर दिनाँक	
(यदि लागू हो)	04 / 10 / 2017 के द्वारा पत्थर—50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापित्त	
	प्राप्त है।	
टॉर विवरण	<ul> <li>ToR Recommended in 745<sup>th</sup> SEAC Meeting Dated 30/04/2024.</li> <li>ToR recommended in 854B SEIAA meeting dated 27-05-2024.</li> </ul>	
	➤ ToR letter issued vide letter no 1367 dated 20/06/2024.	
CTE/CTO details.	PCB ID: 113610, Consent No:AW-111459, Outward No:19164,31/03/2023, consent valid up to 20/09/2027. Issued Date: 31/03/2023.	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—50,00 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है	
	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 50,000 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला म्वालियरके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू.	
अन्य खदानें	यल.81/2015/1769 ग्वालियर, दिनांक- 08.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07	
	अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त / निरस्त हो गई है, अतः	
	प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला म्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अनापत्ति	क्यू. क्यू. यल.81/2015/1769 ग्वालियर, दिनांक- 08.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	
	परिधि में नेषनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित	
	नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अनापि्ति	क्यू. यल.81/2015/1769 ग्वालियर, दिनांक- 08.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	मानव बसाहट, षैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्व जनिकभवन/षमषान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनषील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेषन, दूरदर्षन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा / ग्राम	ग्राम पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/04/2016
पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है।
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—32 के सरल क्रमांक—58 पर दर्ज हैं ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन
3 ,	के सुझाव एवं प्राप्त आपित्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

# **During presentation the Env. Cons. Presented summery of the baselind data for AAQ as under.**

		$PM_{10} (\mu g/m^3)$				
Location Code	Name of the Station	Min	Max	Average	98 <sup>th</sup> Percentile	
AAQ 1	Biloua Stone Mine Site	126	130	128	128.2	
AAQ 2	Billowa Village	122.61	124.5	124.05	123.1	
AAQ 3	Chiruli Village	119.3	121.8	120.55	119.6	
AAQ 4	Industrial Area Plastic Park Billowa	125.4	126.7	126.05	124.3	
AAQ 5	Rustamji Institute of Technology	113.4	117.7	115.55	115.2	
AAQ 6	Ikona	107.23	110.3	108.76	107.4	
AAQ 7	Biramdhana	104.2	107.8	107.8	105.3	
AAQ 8	Antri	102.11	103	103	102.055	

Lasatian		$PM_{2.5}(\mu g/m^3)$			
Location Code	Name of the Station	Min	Max	Average	98 <sup>th</sup> Percentile
AAQ 1	Biloua Stone Mine Site	85	90.1	87.55	88.5
AAQ 2	Billowa Village	81.2	85.41	83.305	83.2
AAQ 3	Chiruli Village	77.3	79.2	78.25	77.1

AAQ 4	Industrial Area Plastic Park Billowa	83.4	86.3	84.85	84.2
AAQ 5	Rustamji Institute of Technology	67.3	71.3	69.3	69.3
AAQ 6	Ikona	65.11	68.2	66.655	66.4
AAQ 7	Biramdhana	60.11	66.1	63.105	64.1
AAQ 8	Antri	55.6	59.9	57.75	57.6

After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendation for grant of EC on the following grounds.

- The EIA report AAQ, PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit <u>laid down under National Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.</u>
- In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area\_as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.

In view of above this case is not recommended for grant of prior EC.

9. <u>Case No 11122/2023 Shri Rajeev Sharma, Owner, R/o Village-Bargama, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)-475110, Prior Environment Clearance for Bilaua Crusher Stone in an area of 2.00 ha. (32765 cum per year) (Khasra No. 3909/min 1, 3909/min-2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District Gwalior (MP) [536947] [DEIAA] (EIA)</u>

Earlier this case was discussed in 742<sup>th</sup> SEAC meeting dated 26/04/2024 wherein ToR was Recommended

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 10 / 07 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	राजीव लोचन शर्मा निवासी गाव – बर्गम, तहसील- डबरा, ग्वालियर, डिस्ट्रिक्ट- ग्वालियर मध्य प्रदेश
खसरानं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 3909 / min-1, 3909 / min-2 क्षेत्रफल—2.0 हेक्टेयर (प्राइवेट—नॉनफॉरेस्ट लेंड)
स्थल	ग्राम—बिलौआ तहसील—डबरा जिला—ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला म्वालियर के पत्र कमांक
	क्यू.40/2020 ग्वालियर दिनांक 30.07.2021के द्वारास्वीकृत।
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया ग्वालियर के पत्र कमांक / 1202/ डीया/न. क्र1/2016 ग्वालियर दिनाँक
(यदि लागू हो)	22 / 07 / 2017 के द्वारा पत्थर — 32,765 घनमीटर / वर्श हेतु
V 0	पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर स्थिति	Online Proposal No [447702]  ➤ ToR Recommended in 742 <sup>nd</sup> SEAC Meeting Dated 26/04/2024.  ➤ ToR Approved 853 <sup>th</sup> SEIAA Meeting Dated 22/05/2024.

	ToR letter issued vide letter no. 1042/ SEIAA /2023 Bhopal Dated 03/06/2023.		
लोक सुनवाई तिथि व	Date 15/01/2025.		
विवरण	Major issues raised during Public Hearing.		
	<ul> <li>खदान के चलने से हमे कोई आपित नहीं हैं, ग्रामवासियों को रोजगार मिलना चाहिए।</li> </ul>		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—32,765घनमीटर / वर्ष हेतु		
	आवेदन किया गया हैऔरअनुमोदित खनन् योजना अनुसार		
	25,000घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियरके एकल		
मेंअन्य खदानें	प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू. यल.40/2020/1506 ग्वालियर, दिनांक-		
	25.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 16अन्य खदानें		
	स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त / निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियरके एकल		
अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू. यल.40/2020/1506 ग्वालियर, दिनांक-		
	25.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेषनल		
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित		
	नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला म्वालियर के एकल		
अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक. क्यू. यल.40/2020/1506 ग्वालियर, दिनांक-		
	25.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,		
	षैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/षमषान घाट/राष्ट्रीय		
	राजमार्ग / संवेदनषील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेषन, दूरदर्षन, हवाई		
	अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहींहै ।		
ग्रामसभा / ग्राम	ग्राम पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक		
पंचायत की अनापत्ति	25 / 1/2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत		
	को कोई आपित्ति नहीं है।		
क्रेशर की स्थिति	केशरलीज क्षेत्र मेंपूर्व से स्थापितहै।		
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में			
स्थिति	क्रमांक-42 पर दर्ज है ।		
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण,		
	आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई		
	एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित		

### STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 10<sup>th</sup> July , 2025 809<sup>th</sup>MEETING

सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendation for grant of EC on the following grounds.

- The EIA report AAQ, PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit <u>laid down under National</u> Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.
- In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area\_as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.

In view of above this case is not recommended for grant of prior EC.

10.Case No P2/1521/2025 SHRI VEDANSH HINGOD S/O SHRI ASHOK KUMAR HINGOD R/O: VILLAGE BADAWADA, TEHSIL JAORA DISTRICT RATLAM, MADHYA PRADESH Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production capacity of 10,000 m3/year Gitti, 10,000 m3/year M-Sand & 9,474 m3/year Saleable Overburden having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. 19(Govt. land) Village - Thikariya, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.) [537165] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 10/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री वेदांश हिंगड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, FAE, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	श्री वेदांश हिंगड, ग्राम वडवदा, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मप्र	
नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरा नं. 19 (सरकारी भूमि)	2.0 हे.
(सरकारी/निजी)		
स्थल	ग्राम – ठिकरिया, तहसील – जावरा, जिला रतलाम	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के सैधांतिक पत्र	
	क्रमांक 1748 दिनांक 04/12/2024 के द्वारा स्वीक्रत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजक्ट	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
Tree existing within	No	
lease area		
प्रस्तावित स्थल की गूगल	पूर्व दिशा:	
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	- उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में 114 मीटर की दूरी पर एक कच्ची	
TO TO	सड़क गुजर रही है ।	
	<b>पश्चिम दिशा:</b> उत्खनिपट्टे क्षेत्र से पर्र	
	मीटर की दूरी पर एक नाला गुजर रहा है ।	
	दक्षिण दिशा:	
	- उत्खनिपट्टे क्षेत्र से दक्षिण दिशा में लगभग 54 मीटर की दूरी	
	पर एक नाला गुजर रहा है ।	

	- उत्खिनपट्टे क्षेत्र से दक्षिण दिशा में लगभग 32 मीटर की दूरी पर एक कच्चा कमरा स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया की उक्त कमरा पूर्व में खेती आदि का सामान रखने हेतु बनाया गया था जो की कई सालो से बंद खंडर पड़ा है एवं जर्जर हालत में है जिसमे कोई निवास नहीं करता है। - उत्खिनपट्टे क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 138 मीटर की दूरी पर एक पुलिया स्थित है एवं 160 मीटर की दूरी पर एक कैस्केड स्थित है जिनके सम्बन्ध में बताया गया की अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खिनपट्टे क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
	उत्तर दिशा: 1) उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 100 मीटर पर एक तलाई स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया की अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है।
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के पत्र
स्थिति	Outward No:21920, दिनांक 09/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति
13.40	(सीटीई) प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिटटी -10000
	घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन
	क्षमता गिटटी -10000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 10000
2 2 2 3 7	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदाने	क्रमांक २००९ दिनांक १४/१/२०२५ अनुसार ५०० मीटर की परिधि ०१
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, उक्त क्षेत्र पर एक मुरूम उत्खनिपटटा
	स्वीक्रत है जो कि गैर सद्रश (Non Homogenous) खनिज है जिसका
	रकबा 3.0 इस प्रकार कुल रकबा 5.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2
	श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	
विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित
	नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	5
की स्थिति	वन क्षेत्र नहीं है ।

तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र		
	क्रमांक २००९ दिनांक १४/१/२०२५ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में		
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय		
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट /		
	राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई		
	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध /		
	स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	नगर परिषद बडावद जिला रतलाम अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक-73		
की अनापति	दिनांक 29/7/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई		
	आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।		
प्रस्तावि खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र		
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	क्रमांक २००९ दिनांक १४/१/२०२५ के अनुसार उक्त उत्खिनपटटा को		
	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिति कर लिया		
	जावेगा ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिटटी -<u>10,000 Cu.mt/year</u> Stone(gitti) & 10,000Cu.mt/year M-sand & Max 9,474 Cu.mt/year Overburden)
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.97 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.12 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
Solar panel system of 3.0 kW capacity will be installed by project proponent at the Government Primary School located in Village Thikariya.	1,20,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

11. Case No 11117/2023 Shri Brijesh Gupta, Owner, R/o Niwasi-Jhansi Road, Balla ka Dera, District Gwalior (MP)-475110, Prior Environment Clearance for Gangapur Crusher Stone Quarry in an area of 1.563 ha. (300000 cum per year) (Khasra No. 234/3), Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District Gwalior (MP) [537495] [DEIAA] (EIA)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें त्रुटिवश बी—2 श्रेणी की किसी अन्य प्रकरण की डाटाशीट उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रकरण की डाटाशीट के स्थान पर निम्नानुसार डाटाषीट पढ़ी जावें, शेष अन्य टॉर की अनुशंसा/शर्ते यथावत रहेंगी।

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गतपूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूंल्यांकनका है, जिसमें आज दिनांक 08/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक बृजेश गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना	बृजेश गुप्ता निवासी –झांसी रोड, बल्लाकाढेरा डबरा जिला ग्वालियर,	
प्रस्तावककानाम व	मध्य प्रदेश.	
पता		
खसरा नं./	234 / 3 (शासकीय—नॉनफॉरेस्ट लेंड) क्षेत्रफल—1.563 हेक्टेयर	
क्षेत्रफल		
(सरकारी / निजी)		
स्थल	ग्राम –गंगापुरत तहसील –डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू.	
	एल.—93 / 2010 ग्वालियर दिनाँक 06 / 03 / 2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से प्रकरण	
टॉर स्थिति		
	ToR Recommended in 741st SEAC Meeting Dated 25/04/2024.	
	➤ Corigendum discuss in 750 <sup>nd</sup> SEAC Meeting Dated 14/05/2024. ToR Approved 850 <sup>th</sup> SEIAA Meeting Dated 15/05/2024.	
	ToR letter issued vide letter no. 969/ SEIAA /2023 Bhopal Dated	
, , , , ,	27/05/2024.	
लोक सुनवाई तिथि	15/01/2025.	
व विवरण	Major issues raised during Public Hearing.	
	🗲 हमे कोई आपत्ति नहीं है, गाव वालों को रोजगार मिलना चाहिए।	
डिया ई.सी.	डिया ग्वालियर के पत्र पत्र क्रमांक 1228 / क्म्प। ध्न.क्र.—1 / 2016 ग्वालियर	
काविवरण (यदि लागू	दिनाँक — 22—02—2017 के द्वारा पत्थर —3,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु	

हो)	अनापत्ति प्राप्त है।
(1)	of It fleet at the equation of
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—3,00,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदनकियागया है औरअनुमोदित खनन् योजना अनुसार 3,00,000 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियरके एकल प्रमाण–पत्र
मेंअन्य खदानें	कमांक क्यू.एल.आई.डी.—26178/2021/1671 ग्वालियर दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.871 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र
अनापि्त	कमांक क्यू.एल.आई.डी.—26178/2021/1671 ग्वालियर दिनांक 16/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेषनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापितत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक क्यू.एल.आई.डी.—26178/2021/1671 ग्वालियर दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, षैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/षमषान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनषील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेषन, दूरदर्षन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	न्गर पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक / 423 / न.पं. / राजस्व / विविध / 11 बिलौआ दिनाँक 13—04—2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदितनवीन जिला सर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.—39 के सरलक्रमांक—95 पर दर्ज है ।

After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendation for grant of EC on the following grounds.

- The EIA report AAQ, PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit laid down under National Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.
- In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area\_as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.

In view of above this case is not recommended for grant of prior EC.

12. Case No 11126/2023 M/s Arcon Mining Private Limited, Niwasi Flat No. 101, Vijendra Vilas Apartment, Patel Nagar, District-Gwalior (MP) 841221, Prior Environment Clearance for Bilaua Crusher Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.090 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 2627/min-1, 2630/min-2, 2630/min-3, 2632/min-3, 2632/min-3, 2633, 2634/min-2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [537430] (EIA)

Earlier this case was discussed in 742<sup>th</sup> SEAC meeting dated 26/04/2024 wherein ToR was Recommended

742th SEAC meeting dated 26/04/2024:-

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 08/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरकोन माइनिंग प्रा0लि0 पार्टनर तुषमुल झा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक	टारकोन माइनिंग प्रा0लि0 पार्टनर तुषमुलझा आत्मज श्री प्रभात झा	
का नाम व पता	निवासी — फ्लैट न. — 101 विजेंद्र विलास अपार्टमेंट, पटेलनगर,	
	ग्वालियर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरा नं. 2627 / मिन—1, 2630 / मिन—2, क्षेत्रफल—1.893	
(सरकारी / निजी)	2630 / मिन—3, 2632 / मिन—2, 2632 / मिन—3, हेक्टेयर (निजी	
	2633, 2634 / मिन—2(निजी—नॉनफॉरेस्ट लेंड) भूमि)	
स्थल	बिलौआ तहसील –डबरा जिला ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू.	
	एल. / 26 / 2020 ग्वालियर दिनाँक 22 / 01 / 2021 के द्वारा स्वीकृत।	
टॉर स्थिति	➤ ToR Recommended in 742 <sup>nd</sup> SEAC Meeting Dated 26/04/2024.	
	<ul> <li>ToR Approved 853th SEIAA Meeting Dated 22/05/2024.</li> <li>ToR letter issued vide letter no. 1087/ SEIAA /2023 Bhopal Dated 03/06/2024.</li> </ul>	
लोक सुनवाई तिथि व	15/01/2025.	
विवरण	Major issues raised during Public Hearing.	
	🕨 हमे कोई आपत्ति नहीं है, गाव वालों को रोजगार मिलना चाहिए।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—12,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 12,000
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल
में अन्य खदानें	प्रमाण–पत्र कमांक क्यू.एल. / 26 / 2020 / 12298 ग्वालियर दिनाँक
	16/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.403 हे. होता है, अतः
	प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल
की अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू.एल. / 26 / 2020 / 12298 ग्वालियर दिनाँक
	16/12/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
	एवं 250 मीटर मेंवन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल
अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू.एल. / 26 / 2020 / 12298 ्वालियर दिनाँक
	16/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई
	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/
	बांध / स्टॉपडैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत बलौआ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	20 / 01 / 2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत
	को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.—53 के सरल
में स्थिति	क्रमांक–171 पर दर्ज है ।

After presentation the committee observed that the case is not found fit for recommendation for grant of EC on the following grounds.

- The EIA report AAQ, PM10 & PM2.5 data reveals that the baseline PM10 & PM2.5 are found exceeding the prescribed limit <u>laid down under National Ambient Air Quality Standard vide 09.11.2009.</u>
- In Bilaua area about 27 mines and over 40 Stone crushers are operating therby cumulative Ambient Air Quality of the area\_as a whole is exceeding the NAAQS hence, indicate that the carrying capacity of the area do not permit to accommodate further mining and other air polluting activities resulting addition of air pollution in the area.

In view of above this case is not recommended for grant of prior EC.

13. <u>Case No 9432/2022 Shri Shabbir Pakawala, Leasee R/o 16, Rambaag, District Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (Expension from 3007 Cum per year to 20000 cum per year) (Khasra No. 273/17), Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) [EC-470686]. EIA.</u>

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री शब्बीर पकवाला (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण		
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
नाम व पता	District Ratlam (MP)-457001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरा नं. 273/17 Govt Land) 1.0 हे.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	ग्राम रामपूरिया, तहसील एवं जिला रतलाम	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय	
	कार्यालय इंदौर के सैधांतिक पत्र क्रमांक 724 दिनांक	
	30/09/2022 के द्वारा स्वीक्रत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन Expension from 3007	
	Cum per year to 20000 cum per year हेतु आवेदन किया गया है और	
	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन Expension from	
	3007 Cum per year to 20000 cum per year ₹1	
500 मीटर की परिधि में		
अन्य खदानें	क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि 02	
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 7.5 हे. होता है, अतः	
	प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र	
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि	
विविधता बफर	में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित	
	नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र	
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 अनुसार 250 मीटर की परिधि में	

200th	MEET	TING
V(1)		

की स्थिति	वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
	क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट /
	राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई
	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध /
	स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	कार्यालय ग्राम पंचायत रामपुरिया, जिला रतलाम अनापति प्रमाण पत्र
की अनापति	क्रमांक क्यू दिनांक 27/1/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन्
	कार्य हेतु समिति को कोई आपति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	क्रमांक 1845 दिनांक 10/10/2022 के अनुसार उपरोक्त जिले की
	अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0 16 के सरल क्रमांक 92 पर
	दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि सिया की 788वीं बैठक दिनांक 19/05/2023 द्वारा प्रकरण क्रमांक 9432 / 2022 के नाम से जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था। सेक की 809वीं बैठक दिनांक 10/07/2025 का परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड एजेण्डा में प्रकरण क्रमांक 9670 / 2023 उल्लेखित है जबिक प्रकरण का वास्तविक विवरण प्रकरण क्रमांक 9432 / 2022 उल्लेखित है के आधार पर समिति ने इस प्रकरण पर विचार किया गया।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई

- The purpose of the report is to get Environment Clearance for Rampuriya Stone (Gitti) Quarry (Survey No. 273/17) having an area of 1.00 Ha., situated near village Rampuriya, Tehsil Ratlam, District Ratlam, Madhya Pradesh for proposed production of Stone (Gitti) Expansion3007 to 20,000 Cum. per annum, proposed mining project situated within Cluster of situated near village RampuriyaTehsil Ratlam, District Ratlam (M.P.).
- Initially, Letter of Intent has been issued by the District Collector (Khanji Branch), DistrictRatlam in favour of Shri Shabbir Pakawala S/o Shri

- Najmuddin Pakawala, R/o 16, Rambagh, Ratlam, District Ratlam, Madhya Pradesh, Under Rule (Amendment on 23.03.2013) 18 (2) ofMadhya Pradesh Minor mineral rules, 1996 vide letter no. 1420/Khanij/2016-17, Ratlam,Dated 17.02.2017 for a period of 10 years.
- The Mining Plan & Progressive Mine Closure Plan was approved by Regional Head Geology Mining Department Indore vide letter no. 769/Mining Plan/N.Kra./2017, Indore Date18/04/2017.
- The Environment clearance has been obtained by District Environment Impact Assessment Authority, (DEIAA), Ratlam (M.P.) vide its letter no 546/DEIAA-DACE/2017-18, Dated22.08.2017 for targeted production of Stone (Gitti) 3007 Cum per annum. The lease agreement has been carried out for the period of 16.12.2020 to 15.12.2030 i.e. for aperiod of 10 year's.
- The lease agreement has been carried out for the period of 16.12.2020 to 15.12.2030 i.e. for a period of 10 year's. Thereafter lessee wants enhance the production of stone (Gitti) 3007 Cum Per Annum to 20,000Cum Per Annum.
- The modified Mining Plan Cum Progressive mine closure plan is being prepared and submitted under Rule 42(C) of Madhya Pradesh Minor mineral Rules, 1996 to competent authority by enhance production of stone 20,000 Cum/Year. The same was approved vide letterP724/Ma.Plan/Na.Kra./2022, Indore, Dated 30.09.2022.
- As per the Environment Impact Assessment (EIA) Notification S.O. 1533 (E) dated 14thSeptember 2006 and its related guidelines/circulars, the proposed fresh project falls under Category 1(a) B1. The area of our project is less than 5 Ha., but since there are three other mines situated within 500-meter radius of our mining lease periphery and the cumulative area will be7.50Ha., (including this mining lease area), thus our project falls under Category 1(a) B1. The EIA report is to get Environmental Clearance (EC) for project from State Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh.
- Application for prior environment clearance for the above proposal was submitted to the SEIAA, Bhopal (M.P.) on 11.10.2022 for determination to terms of reference (ToR) and preparation of EIA/EMP Report, Proposal number and Case No. of our mining project is SIA/MP/MIN/415733/2022 and 9670/2023 respectively.
- The meeting was held in 643th meeting of SEAC, Bhopal (Madhya Pradesh) on 05.05.2023 for determining the Terms of Reference (ToR). Thereafter on the basis of 788th meeting of SEIAA, M.P. dated 19.05.2023 and 643th meeting of SEAC, M.P. dated 05.05.2023, SEIAA, Madhya Pradesh issued Terms of Reference vide its letter No.543/SEIAA/23, dated 25.05.2023.
- The Mining Scheme & Progressive mine closure plan is being prepared and submitted under Rule 42(C) of Madhya Pradesh Minor mineral Rules, 1996 to competent authority by enhance production of stone 20,000 Cum/Year.

The same was approved vide letter 41166/ 10.5.25, Indore, Dated 30.05.2025.

- The field studies for environmental attributes have been carried out during the period October, 2022 to December 2022, representing the winter season as per the guideline issued by the MoEF&CC, New Delhi.
- Blasting is not proposed.
- Public Hearing was conducted on 19.12.2023 as per issued Terms of Reference by the SEIAA, Madhya Pradesh, Bhopal.

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र से उत्तर—पश्चिम दिशा में एक स्टाप डेम 280 मी. एवं पूर्व दिशा में 65 मी. की दूरी पर स्थित है तथा रपटा पूर्व दिशा में क्रमशः 24 एवं 75 मी. की दूरी पर है इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 100 मी. तक का क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16/01/2024 का पूर्व ईसी की शर्तों का पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किया गया।

- सुरक्षा की दृष्टि से खदान के गड्ढे के आसपास तार की (बाढ) फेनसिंग कर दी गई है।
- पिट कि गहराई 6 मीटर से कम है अगर गहराई 6 मीटर अधिक होती है तो डी.जी.एम.एस. से स्वीकृति प्राप्त करके ही खनन का कार्य किया जायेगा।
- खनन क्षेत्र में छोटे—छोटे (उबड़ खाबड़ गडढे) नहीं करेगे। खनन का कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया किया जायेगा।
- प्रस्तावित खनन पट्टे से 28 मी. दूरी पर एक छोटा पुल होने के कारण खनन कार्य में ब्लांस्टिंग का कार्य नहीं किया जायेगा । इस हेतु खनन स्कीम में भी नॉन ब्लास्टिंग का अनुमोदन करा दिया गया है।
- ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु हमारे द्वारा समय समय पर षिविर का आयोजन किया जाता है एवं ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में विकास के कार्य किये जाते है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone (Gitti) 20,000 Cu.m. per annum.

पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.17 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 5.15 लाख प्रति वर्ष । 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
रामपुरिया गांव के शासकीय विद्यालय मे 3 किलो वाट सोलर प्लांट की स्थापना।	₹ 1,20,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

- 809th MEETING
  - 14. Case No 10685/2023 Shri Pawan Khatik, Partner, M/s S.S. Infra, R/o Veer Sawarkar Market, Dukar No. 5, District-Shivpuri (MP) 473551, Prior **Environment Clearance for Muhal Dehar Stone Quarry in an area of 3.279 ha.** (38475 cum per year) (Khasra No. 119), Village-Muhal Dehar, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [470982] (Query Reply EIA) [EC-4709821
    - Earlier this case was recommended for EC through 759th SEAC Meeting Dated 25/05/2024.
    - SEIAA referred back this case in their 878th SEIAA Meeting dated 17/03/2025

## 878th SEIAA Meeting dated 17/03/2025:-

27. प्रकरण क्र. 10685 / 2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस. इन्फ्रा, पार्टनर श्री पवन खटीक, निवासी- वीर सावरकर मार्केट दुकान नं. 05, जिला शिवपुरी (म०प्र०) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38475 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.279 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 119, ग्राम मुहालढेहर, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननासार स्थिति पाई गई :-

 परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ई.आई.ए. रिपोर्ट आपलोड नही किया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

## Earlier w.r.t. SEIAA query this case was discussed in 788th SEAC Meeting dated 28.04.2025 wherein following query raised.

- TOR compliance must be specific and with reference to EIA chapter details.
- TOR points reply marked as noted/blank must be addressed properly.
- To upgrade /justify the relevant portions of EIA (uploaded with ADS reply) as discussed during presentation.
- To revised CER as per suggested by the committee

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पूर्व मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 08.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- प्रस्तुतिकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा पूर्व की बैठक 788 दिनांक 28/04/2025 में चाही गयी जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
- प्रस्तुतिकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा ईआईए के सम्बन्ध में बताया गया कि पूर्व में SEAC ADS 31/03/2025 के माध्यम से Final EIA दिनांक 01/04/2025 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी थी।
- आज दिनांक 10/07/2025 SEAC एजेंडा 809 में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गयी जानकारी के सम्बन्ध में समिति द्वारा चर्चा की गयी जिसमे पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत की गयी बिंदुवार जानकारी की समीक्षा की गयी जो कि संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पायी गयी।
- इसके अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा प्रकरण की डिया स्वीकृति में निहित शर्तों की स्थिति का अवलोकन किया गया जिसका विवरण निंम्नानुसार है

DEIAA Conditions	Compliance status	
Plantation	50 new saplings are planted along the mine lease boundary. (GPS photographs are provided) A total of 200 plants were distributed to villagers (Sheet provided)	
Wire fencing work	25 % of Mine lease area is covered fencing & in the remaining periphery the fencing work is under process. (GPS photographs are provided)	
Garland drain at the mine lease area	Garland drain is constructed partially in the eastern periphery of the ML area.	
Verifiable proof of CER	Different activities for the village welfare is carried out which are:  1. Chairs have been distributed at Government Primary School, Gundar. (GPS photographs are provided)  2. Repairing of the village roads through filling of murrum/OB. (GPS photographs are provided)  3. Drinking water facility has been arranged by the proponent through a hand pump (GPS photographs are provided)	

809th MEETING

4. Contribution in the construction of village common temple (Letter addressing the activity dtd 25/05/2024 & receipt is provided).

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि उत्खनिपट्टे का बैरियर जोन एवं बाहर का क्षेत्र खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में बताया गया बैरियर जोन 2019 से पहले का खुदा हुआ है एवं खदान का संचालन उत्खनिपट्टे के लिए जारी CTO की वैधता 11.01.2021 खत्म होने के पश्चात से बंद है प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खिनपट्टे से बाहर का खुदा हुआ क्षेत्र अन्य खदान का गहा है जो कि खदान क्षेत्र की सीमा से लगी हुई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिटटी -<u>38,475 m³/year</u> .

पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.78 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.61 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नान्सार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
3.0 kW capacity solar panel system will be installed in govt middle School at Shahabad Village. (excluding subsidy).	₹ 1,20,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3935 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

- 15. Case No P2/974/2024 Shri Kartar Singh, Village Rancholi Bisetha, Tehsil Morena Hal Tehsil Bamor, Naurabad, District- Morena 476444, Prior Environment Clearance for Rancholi Flagstone Quarry at Khasra No.–83, an Area of 2.30 Ha., VILLAGE- RACHOLI, TEHSIL- MORENA, DISTRICT- MORENA (M.P.) with Production: Flag Stone 3500 M3/ Year. Form-2,. B2 Case. [473046] (Referred back)
  - Earlier this case was discussed in 764<sup>th</sup> SEAC meeting Dated 06/06/2024 wherein EC was Recommended
  - This case is referred back to SEAC in 882<sup>nd</sup> SEIAA meeting Dated 27/03/2025

#### 882<sup>nd</sup> SEIAA meeting Dated 27/03/2025:-

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह प्रकरण DEIAA पुनः परीक्षण का नहीं है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन भी नवीन पर्यावरण स्वीकृति के लिये किया गया है, किन्तु SEAC द्वारा 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 के कार्यवाही विवरण में प्रकरण को DEIAA पुनः परीक्षण का होना बताया गया है तथा उक्त खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सम्मिलित नहीं है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में DEIAA to SEIAA का प्रकरण है का लेख किया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित फर्शीपत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 08/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाइन उपस्थित हुई और सिया द्वारा उठाये गये बिन्दु पर समिति के समक्ष चर्चा की।

प्रकरण डिया से सिया का नहीं होने से समिति का निर्णय है कि प्रकरण बी—2 पढ़ा जावे तथा समिति द्वारा पूर्व में सेक की 764वीं बैठक दिनांक 06 / 06 / 2024 की अनुशंसा यथावत रहेगी। 16. Case No 10844/2023 Shri Suresh Kumar Mittal, Partner, 24, Commercial Complex, House Board Colony, P.O. Katni, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Kotalde Marble Mine area of 8.457 ha. (45600 cum per year) (Khasra No. 127, 132, 139, 140, 141, 142, 143), Village-Bhailwar, Tehsil Chandia, District-Umaria (MP) [532527] (Query Reply EIA)

Earlier this case was discussed in 790<sup>th</sup> SEAC Meeting dated 07.05.2025 wherein following query raised.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावत को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स में नोटेड / रिक्त स्थान का पालन विवरण अंकित करें।
- > जलगुणवत्ता परिणाम SW2 को अवलोकन कर सरफेस वाटर के परिणामों का निष्कर्ष अंकित करें।
- गारलेण्ड ड्रेन तथा षिल्टेषन पोन्ड के विवरण दिये जायें।
- वायु, जल, ध्विन, मृदा गुणवत्ता मापन हेतु मॉनिटिरंग आवृित्ति ईआईए चेप्टर VI, IX, X में अन्तराल पृथक—पृथक उल्लेखित है, इसे एकरूपता कर तदानुसार ईएमपी में संषोधन किया जाये।
- ईआईए के अन्य निम्न बिन्दुओं को समिति में हुई चर्चानुसार चेप्टर VII, VIII, IX में संषोधित / उन्नयन कर प्रस्तुत करें।

## PP submitted following information about the lease area:

- Kotalde Marble Mine is situated near village- Kotalde, Tehsil Bilaspur, District Umariya, Madhya Pradesh over an area of 8.457 hectares. The quarry lease has been allotted in favour of M/s S.K. Marbles by State Government vide its letter No. 8239-40/ ग्रुप- 3/न.क्र.2023,dated 30.06.2023 and 10684-85/ग्रुप-3/न.क्र.-07/पु.अनु./2023, dated 30.09.2024. The validity of LOI is up to 30.06.2025.
- Mining Plan has been approved vide letter dated 17.07.2023 by the DGM M.P.
- No forest land involvement, so no diversion of forest land;
- No R &R involvement;
- Not covered under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 as no such area is involved in it.
- No National Park, Sanctuaries, Biosphere Reserve, Wild life Corridors, Tiger/Elephant reserves within study area, hence threat to biodiversity is minimal.
- No critically polluted areas present in study area;
- No diversion of any perennial surface water body;
- Having raw materials availability to cement plant.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रितिनिधि श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, कोर्डीनेटर मेसर्स पी. एंड एम. साल्युशन नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि:—

- The Project was considered in the SEAC meeting of 790<sup>th</sup> held on 7<sup>th</sup> May 2025.
- The SEAC, after examining the documents submitted by the project proponent and detailed deliberations in its 790<sup>th</sup> meeting on 7<sup>th</sup> May, 2025, **deferred the project for** demand of the following information.
- TOR Compliance has been Complied.
- Details of Garland Drain and Siltation Pond has been given in Chapter 4.
- Details of Monitoring Program has been given in Chapter 6, 10 & 11. Ref. Chapter 6 (Page No. VI-4 to VI-6), Chapter 11 (Page No. XI-12 to XI-14), Chapter 7 (Page No. VII-16) Chapter 10 (Page No. X-7 to X-8).
- The PP has obtained CTE fresh vide PCB id -168698 dated 17.04.2025, which is valid upto 31.03.2030.

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा :--

## समिति ने प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा :--

 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

17. Case No. P2/1709/2025 Shri ABHAYA SHANKAR PANDEY, Authorized signatory, MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED, R/o-PLOT NO.4 MADHAV HOUSE, NEAR PANCHRATAN BUILDING, SUBHANPURA, DISTRICT-VADODARA, STATE-GUJRAT, Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.0 ha. (Stone – 74,999.4 cum per year) (Khasra No. 636, 645 Govt Land), Village-Morgaon, Tehsil – Sardarpur, District- Dhar (MP) SIA/MP/MIN/541545/2025 (B2). T.P. Case

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 10/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री Amarjeet Saran, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, Online & Smt. Meena Chourasia, FAE M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ABHAYA SHANKAR PANDEY, Authorized signatory, MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED, R/o-PLOT NO.4 MADHAV HOUSE, NEAR PANCHRATAN BUILDING, SUBHANPURA, DISTRICT-VADODARA, STATE-GUJRAT		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 636, 645 Govt Land) 2.0 हे.		
स्थल	ग्राम मोरगांव, तहसील सरदारपुर, जिला धार		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के सैधांतिक पत्र		
	क्रमांक 1250 दिनांक 22/04/2025 के द्वारा स्वीक्रत ।		
प्रकरण की स्थिति	नया		
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर		
स्थिति	प्रस्तावित नही है ।		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार CTE-Fresh -		
स्थिति	1410141 (DRAFT COPY) के पत्र PCB-ID : 170424,16/06/2025,		
	द्वारा प्राप्त है।		
उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर -			
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना		
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता क्षमता पत्थर – 74,999		
	घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र		

अन्य खदानें	क्रमांक १४०६ दिनांक ०६/५/२०२५ अनुसार ५०० मीटर की परिधि ०२		
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 5.00 हे. होता है,		
	अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र		
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	क्रमांक 1406 दिनांक 06/5/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि		
विविधता बफर	में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित		
	नहीं है ।		
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र		
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	क्रमांक १४०६ दिनांक ०६/५/२०२५ अनुसार २५० मीटर की परिधि में		
की स्थिति	वन क्षेत्र नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र		
	क्रमांक 1406 दिनांक 06/5/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि		
	में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर,		
	राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान		
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन		
	हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब /		
	बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला		
	नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	कार्यालय ग्राम पंचायत मोरगांव, जिला धार अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक		
की अनापति	02 दिनांक 15/4/2025 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु		
	ग्राम पंचायत एवं पेसा कानून समिति को कोई आपति नहीं है ।		
प्रस्तावि खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र		
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	क्रमांक १४०६ दिनांक ०६/५/२०२५ के अनुसार उपरोक्ट अस्थायी अनुज्ञा		
	की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात डीएसआर में सम्मिलित कर		
	लिया जावेगा ।		

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लपश्चिम रेलवे के LOI क्रमांक DVCE-C-II-IND-ENGINEERING/IND-DINL-DYCE-C-II-128/092929190119040 दिनांक 11-12-2024 के अनुसार, मेसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वडोदरा द्वारा ग्राम अमझेरा से सरदारपुर के बीच 18.46 कि.मी. रेलवे लाइन निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। इस रेलवे निर्माण कार्य हेतु ग्राम मोरगांव, तहसील सरदारपुर, जिला धार, के खसरा क्रमांक 645 एवं 636, रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि पर खनिज पत्थर/गिट्टी हेतु अस्थायी अनुज्ञा स्वीकृत की गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र दक्षिण दिशा में खुदा हुआ है इस संबंध में ग्राम पंचायत, मोरगॉव का पत्र दिनांक 20/06/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सर्वे नं. 636 एवं 645 में आवंटित उत्खनन हेतु लीज पर ली गई शासकीय भूमि में पहले से पत्थर उत्खनन किया हुआ है एवं पिट को माईनिंग प्लान में भी दर्शाया गया है। गूगल ईमेज के अनुसार पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि दक्षिण—पश्चिम दिशा में 18 मी. की दूरी पर जल रोकने की संरचना स्थित है, यह संरचना पाट्टाधारकों द्वारा निर्मित की गई है एवं डाउनवर्ड दिशा में एक अन्य जल रोकने की संरचना स्थित है इस संरचना का संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा जल संरचना को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में 100 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है अतः खनन हेतु 0.67 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। पूर्व दिशा में 184 मी. की दूरी पर कच्चा रोड, दक्षिण—पश्चिम दिशा में इण्डस्ट्री शेड 370 मी., उत्तर—पूर्व दिशा में आबदी 434 मी. एवं लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में 59 मी. की दूरी पर लीज ऑनर के साईट आफिस स्थित है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा :--

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- लीज क्षेत्र के समीप दक्षिण—पश्चिम दिशा में 18 मी. की दूरी पर जल रोकने की संरचना स्थित है एवं डाउनवर्ड दिशा में एक अन्य जल रोकने की संरचना स्थित है। सिया द्वारा जारी स्थानवार मापदण्ड ........ के अनुसार जल संरचना से निर्धारित दूरी छोड़ते हुये शेष खनन योग्य क्षेत्र (सरफेस मेप में दर्षाते हुये) की जानकारी प्रस्तुत करें साथ ही पर्यावरण सलाहकार के अनुसार इस संरचना का संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है अतः संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें।

# 18. Case No P2/1710/2025 PAWAN SINGH, R/oVillage-Sumeda, Post-Bihra, Tehsil- Huzur, District- Rewa, M.P Prior Environment Clearance for Stone mining project, Area- 2.00ha (Production- 40,000) Village-Sumeda, Tehsil-Huzur, District-Rewa, State -Madhya Pradesh, Khasra No.- 464,465, 466/3 & 457,. [541915] (B2) (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 10/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, Online & Smt. Meena Chourasia, FAE from M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक	श्री PAWAN SINGH, Proprietor, R/o-Village-Sumeda, Post-Bihra, Tehsil-		
का नाम व पता	Huzur, District- Rewa, (M.P.).		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	464, 465, 466/3 & 457 (निजी-नॉन फॉरेस्ट 2.00 hectare.		
(सरकारी/निजी)	लेंड भू स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं एवं एक		
	अन्य खसरा नं. 466/3 के भू स्वामी की सहमति		
	परियोजना प्रस्तावक प्राप्त है)		
स्थल	Village- SUMEDHA Tehsil- Huzur District Rewa (M.P.).		
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 21/03/2018 अनुसार दिनांक 21/03/2018 से		
	२०/०३/२०२८ तक अनुबंधित ।		
ब्लास्टिंग/रॉक	Single Row Muffle Blasting		
ब्रेकर			
प्रकरण की स्थिति	DEIAA Re-appraisa		
डिया ई.सी. का	डिया रीवा के पत्र क्रमांक 274 दिनांक 30/06/2018 के द्वारा पत्थर-23385		
विवरण (यदि लागू	गू घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।		
हो)			
लीज क्षेत्र में क्रेशर	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर क्रेशर		
की स्थिति	प्रस्तावित है ।		
बोर्ड द्वारा जारी	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा द्वारा जारी संचालन		
सम्मति की स्थिति	सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 29/08/2024 तक थी।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-23385		
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना		
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
परिधि में अन्य	5016 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान		
खदानें	संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		

809	thM	EE	TI	NG
ひひノ	TAT	ש נש נ		U

राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अभ्यारण/ एसईजेड	5016 दिनांक 29/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
से दूरी कोर/ जैव	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
विविधता बफर		
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
250 मीटर की दूरी	5016 दिनांक 29/12/23 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।	
पर वन क्षेत्र की		
स्थिति		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अनापत्ति	पति 5016 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट	
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,	
	रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग /	
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्था	
एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रा		
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत सुमेदा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक	
पंचायत की	02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं	
अनापत्ति	है का प्रस्ताव पारित ।	
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
जिला सर्वेक्षण	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं27 के सरल क्रमांक-43	
रिपोर्ट में स्थिति	पर दर्ज है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 30/06/2018 से प्रस्तुतीकरण की तिथि तक कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। जिस कारण डिया की शर्तों का पालन नहीं हो सका है। लीज क्षेत्र दक्षिण दिशा में खुदा हुआ है तथा पिट को माईनिंग प्लान में नहीं दर्शाया गया है। समिति ने प्रकरण के गूगल ईमेज में परीक्षण के दौरान पाया कि दिसम्बर, 2018 की गूगल ईमेज में खदान क्षेत्र में गढढा नहीं दिख रहा है।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर समिति ने प्रकरण में निम्नलिखित स्थिति पाई गई है :--

लीज क्षेत्र दक्षिण दिशा में खुदा हुआ है एवं बैरियर जोन भी आंशिक रूप से खुदा हुआ है । डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति का पालन नहीं पाया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर्यावरण स्वीकृति की अनुषंसा नहीं की जाती है।

> ( ए.ए.मिश्रा ) सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
  - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मित प्राप्त करना होगी।
  - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना स्निश्चित की जावेगी।
- 39. कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
  - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमित नही दी जा सकेगी।
  - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मित प्राप्त करना होगी।
  - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- 1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत किण्डका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमित धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमित धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमित के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitationsissues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Minable Potential of sand mine.
  - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 39. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- 40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयाविध में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'D'

#### General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

## STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 809th MEETING

- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - roposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ctivities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - o fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
  - omprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

- permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

## FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

#### खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देष :--

- नोट 1:— स्थल विषेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2:- विषय विषेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:—

  पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, कंचुआ खाद, आवष्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण,
  पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं
  सरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवष्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवष्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विषेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

#### नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03—05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवष्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

#### नोट 7:- बीज बुआई एवं अंक्रुण पष्चात देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंक्रण पष्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुडाई एवं सडी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

• सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

## नोट - 8:- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1		1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिषा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट
	घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15
		सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति
	I	में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षिति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- । दान संचालन पुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विषेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे